



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122023-250563
CG-DL-E-11122023-250563

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 11, 2023/अग्रहायण 20, 1945

No. 705]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 11, 2023/AGRAHAYANA 20, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2023

सं. 14/2023-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 888(अ).—जहां कि ईरान और थाईलैंड (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “सिंथेटिक ग्रेड जिओलाइट 4ए” (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मदो 2842 90 90, 2826 90 00, 2839 90 90 या 2842 10 00 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 06/5/2022-डीजीटीआर, दिनांक 29 सितम्बर, 2023, जिसे दिनांक 29 सितम्बर, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

- (i) विषयगत वस्तु का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई है;

- (ii) क्षति जांच अवधि के दौरान विषयगत देशों से आयात पूर्ण और सापेक्ष रूप से बढ़ा है;
- (iii) विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की गैर-हानिकारक कीमत से काफी कम है जो महत्वपूर्ण क्षति मार्जिन/कम कीमत पर बिक्री का संकेत देता है,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित इस विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिए गए विवरण वाले विषय वस्तु, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, कॉलम (4) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित हैं, कॉलम (5) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	28429090 28269000 28399090 28421000	सिंथेटिक ग्रेड जिओलाइट 4ए	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	पीक्यू केमिकल्स (थाईलैंड) लिमिटेड	54.09	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	क्र.सं. 1 में उल्लिखित के अलावा कोई अन्य	92.55	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड और ईरान के अलावा कोई भी देश	थाईलैंड	कोई भी	92.55	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

4	-तदैव-	-तदैव-	ईरान	ईरान	कोई भी	179.96	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5	-तदैव-	-तदैव-	ईरान	ईरान के अलावा कोई भी	कोई भी	179.96	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड और ईरान के अलावा कोई भी देश	ईरान	कोई भी	179.96	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

नोट : यदि आयात को संयुक्त अरब अमीरात में उत्पन्न होने की सूचना दी जाती है तो सीमा शुल्क अधिकारी विषय वस्तु की उत्पत्ति का सत्यापन कर सकते हैं।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/220/2023-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2023

No. 14/2023-Customs (ADD)

G.S.R. 888(E).—Whereas, in the matter of “Synthetic Grade Zeolite 4A” (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff items 2842 90 90, 2826 90 00, 2839 90 90 and 2842 10 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the Iran and Thailand (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings, vide notification F. No. 6/5/2022-DGTR, dated the 29th September, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 29th September, 2023, has come to the conclusion inter alia that—

- the product under consideration has been exported to India at a price below normal value, thus resulting in dumping;
- the imports from the subject countries have increased in absolute as well as relative terms throughout the injury investigation period;

- (iii) the landed value of imports of the subject goods from subject countries is much below the non-injurious price of the domestic industry indicating significant injury margin/price underselling,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :-

Table

Sl.No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	28429090 28269000 28399090 28421000	Synthetic Grade Zeolite 4A	Thailand	Any country including Thailand	PQ Chemicals (Thailand) Ltd.	54.09	MT	USD
2	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any other than Row (1)	92.55	MT	USD
3	-do-	-do-	Any country other than Thailand and Iran	Thailand	Any	92.55	MT	USD
4	-do-	-do-	Iran	Iran	Any	179.96	MT	USD
5	-do-	-do-	Iran	Any other than Iran	Any	179.96	MT	USD
6	-do-	-do-	Any country other than Iran and Thailand	Iran	Any	179.96	MT	USD

Note : The customs authorities may verify the origin of subject goods in case imports are reported as originating in United Arab Emirates.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/220/2023-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.